रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 871] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 2003/भाद्र 31, 1925

No. 871] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 2003/BHADRA 31, 1925

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2003

का.आ. 1091(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (2003 का 16) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 22 सितम्बर, 2003 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 6 प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 1-1/2003 वन्यजीव-1]

विनोद ऋषि, अपर वन महानिदेशक

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2003

S.O. 1091(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 1 of the Wild Life (Protection) Amendment Act, 2002 (16 of 2003), the Central Government hereby appoints the 22nd day of September, 2003 as the date on which section 6 of the said Act shall come into force.

[F. No. 1-1/2003 WL-I]

VINOD RISHI, Addl. Director General of Forests

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2003

का.आ. 1092(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), की धारा 63 के साथ पठित धारा 5क की उपधारा (2) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और आरंभ :—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं :—**

इन नियमों में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अभिप्रेत है;

(ख) "राष्ट्रीय बोर्ड" से अधिनियम की धारा 5क के अधीन गठित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से राष्ट्रीय बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) इन नियमों में प्रयुक्त अन्य सभी शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड :—**

(1) राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(2) उन सदस्यों की पदावधि जो पदेन सदस्यों से भिन्न हैं, तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी।

(3) राष्ट्रीय बोर्ड के लिए नामित संसद सदस्य की सदस्यता उसके संसद सदस्य न रहने पर समाप्त हो जाएगी।

(4) अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के खंड (ङ), खंड (च) और खंड (फ) में निर्दिष्ट रिक्तियों को केन्द्र सरकार द्वारा अध्यक्ष के अनुमोदन से नामांकन द्वारा भरा जाएगा।

4. **अधिवेशन :—**

(1) सामान्यत: वर्ष में एक बार अध्यक्ष के अनुमोदन से विनिश्चित किए जाने वाले स्थान पर राष्ट्रीय बोर्ड का अधिवेशन होगा।

(2) सदस्य सचिव ऐसे अधिवेशन की तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व अधिवेशन के लिए कार्यसूची की मदें तैयार करेगा, अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करेगा तथा इसे ऐसे अधिवेशन की तारीख से पंद्रह दिन पूर्व सभी सदस्यों को परिचालित करेगा।

(3) सदस्य सचिव अधिवेशन का कार्यवृत्त तैयार करेगा और अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् इसे अधिवेशन के तीस दिन के भीतर सभी सदस्यों को परिचालित करेगा।

(4) सदस्य सचिव राष्ट्रीय बोर्ड के विनिश्चयों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी करेगा।

5. **राष्ट्रीय बोर्ड से हटाया जाना :—**

केन्द्रीय सरकार, अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के खंड (ङ), खंड (च) और खंड (फ) के अधीन नियुक्त राष्ट्रीय बोर्ड के किसी सदस्य को हटा सकेगी यदि,—

(क) वह विकृतचित्त का है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या

(ख) वह अननुमोचित दिवालिया है; या

(ग) उसे किसी अपराध के लिए जिसके अंतर्गत नैतिक अधमता भी है, दोषसिद्ध किया गया है; या

(घ) उसका आचरण सदस्य के रूप में अशोभनीय होना पाया गया है।

6. **सदस्यों द्वारा हित का प्रकटन :—**

यदि राष्ट्रीय बोर्ड का कोई सदस्य या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य का कोई हित किसी प्रस्ताव में है जो राष्ट्रीय बोर्ड को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है तो वह सदस्य प्रस्ताव में अपने हित की सीमा प्रकट करेगा।

7. **राष्ट्रीय बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता करना :—**

(1) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष राष्ट्रीय बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(2) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित कोई अन्य सदस्य, जो राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाए, अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

8. **गणपूर्ति :—**

(1) राष्ट्रीय बोर्ड के किसी अधिवेशन में कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या का आधा होगी।

(2) यदि किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो अध्यक्ष या अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति गणपूर्ति होने तक अधिवेशन को स्थगित करेगा।

9. **राष्ट्रीय बोर्ड के अधिवेशनों के लिए आमंत्रित व्यक्ति :—**

राष्ट्रीय बोर्ड का अध्यक्ष राष्ट्रीय बोर्ड के अधिवेशन में भाग लेने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगा जिन्हें वन्यजीव संरक्षण का अनुभव हो।

10. **कारबार का अभिलेख :—**

(1) राष्ट्रीय बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन में किए जाने वाले कारबार का अभिलेख ऐसे अधिवेशन में अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले सदस्य के अनुमोदन के लिए सदस्य-सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा।

(2) जब कोई कारबार कागज पत्रों के परिचालन द्वारा किया जाता है तो इस प्रकार किए गए कारबार का अभिलेख राष्ट्रीय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा, परिचालन को अनुज्ञात करते हुए, अनुमोदन के लिए सदस्य-सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा।

(3) राष्ट्रीय बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन में किए गए कारबार का अभिलेख अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा कारबार का अनुमोदित अभिलेख सभी सदस्यों को परिचालित किया जाएगा।

(4) राष्ट्रीय बोर्ड या उसकी समितियों, उपसमितियों या उपसमूहों द्वारा किए गए कारबार की मदों का सभी अभिलेख सदस्य-सचिव द्वारा रखा जाएगा।

11. **समितियों की नियुक्ति :—**

(1) राष्ट्रीय बोर्ड, अधिनियम की धारा 5ख में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार एक स्थायी समिति और ऐसी अन्य समितियां या अध्ययन समूहों, जहां कहीं आवश्यक हो, का गठन कर सकेगा।

(2) राष्ट्रीय बोर्ड इस नियम के उपनियम (1) के अधीन गठित समितियों के संबंध में निर्देश पदावधि, सदस्यता और अन्य संबद्ध पहलुओं के निबंधन, जो आवश्यक हो, अवधारित करेगा।

12. **राष्ट्रीय बोर्ड और उसकी समितियों के सदस्यों की यात्रा भत्ते और अन्य भत्ते :—**

(1) पदेन सदस्यों से भिन्न राष्ट्रीय बोर्ड या किसी समिति का कोई सदस्य राष्ट्रीय बोर्ड या सम्यक् रूप से गठित उसकी किसी समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए की गई यात्रा के संबंध में या राष्ट्रीय बोर्ड या संबद्ध समिति द्वारा उसे सौंपे गए किसी कर्तव्य के निर्वहन के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारियों को अनुज्ञेय दरों पर तत्समय प्रवृत्त यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) राष्ट्रीय बोर्ड या किसी समिति के किसी सदस्य को यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि वह यह प्रमाणित नहीं करता है कि जिस यात्रा या ठहराव के संबंध में उसने दावा किया है, उसके लिए उसने किसी अन्य स्त्रोत से कोई यात्रा या दैनिक भत्ता नहीं लिया है।

(3) राष्ट्रीय बोर्ड या किसी समिति के सदस्य को, उसके प्रायिक निवास स्थान से अधिवेशन के स्थान तक या जहां वह राष्ट्रीय बोर्ड के किसी कारबार में उपस्थित होने के लिए जाता है और वापस अपने निवास स्थान तक आने के लिए, यात्रा भत्ते का संदाय किया जाएगा।

(4) विशेष परिस्थितियों में, अध्यक्ष किसी सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से भिन्न स्थानों के लिए यात्रा भत्ता मंजूर कर सकेगा।

13. **नियमों का निर्वचन :—**

जहां इन नियमों के निर्वचन के बारे में कोई संदेह उत्पन्न होता है, वहां ऐसा निर्वचन केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

[फा.सं. 1-1/2003 वन्यजीव-1]

विनोद ऋषि, अपर वन महानिदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2003

S.O. 1092(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) and (3) of section 5A read with section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.—**

(1) These rules may be called the National Board for Wild Life Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—**

In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);

(b) "National Board" means the National Board for Wild Life constituted under section 5A of the Act;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the National Board;

(d) all other words and expressions used in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **National Board for Wild Life.—**

(1) The National Board shall be constituted in accordance with the provisions contained in sub-section (1) of section 5A of the Act.

(2) The term of office of the members other than those who are members ex-officio shall be for a period of three years.

(3) The Member of Parliament nominated to the National Board shall cease to be the Member of the National Board on his having ceased to the Member of Parliament.

(4) The vacancies referred to in clauses (e), (f) and (v) of sub-section (1) of section 5A of the Act shall be filled by nomination by the Central Government with the approval of Chairperson.

4. **Meetings.—**

(1) The National Board shall ordinarily meet once in a year at a place to be decided with the approval of the Chairperson.

(2) The Member-Secretary shall prepare agenda items for the meetings, obtain approval of the Chairperson and circulate it to all members at least fifteen days prior to the date of such meeting.

(3) The Member-Secretary shall prepare the minutes of the meeting and circulate it to all members within thirty days of the meeting after obtaining approval of the Chairperson.

(4) The Member-Secretary shall also initiate follow up action on the decisions of the National Board.

5. **Removal from the National Board.—**

The Central Government may, with the prior approval of the Chairperson, remove any member of the National Board appointed under clause (e), (f) and

(v) of sub-section (1) of section 5A of the Act, if—

(a) he is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(b) he is an undischarged insolvent; or

(c) he is convicted of any offence including moral turpitude; or

(d) his conduct is found to be unbecoming of a member.

6. **Disclosure of interest by members.—**

If any member of the National Board or his family member has any interest in a proposal submitted for consideration of the National Board, the member shall disclose the extent of his interst in the proposal.

7. **Presiding over the meetings of the National Board.—**

(1) The Chairperson or in his absence the Vice-Chairperson shall preside at every meeting of the National Board.

(2) In the absence of both the Chairperson and the Vice-Chairperson, such other member present as is decided by the National Board shall preside over the meeting.

8. **Quorum.—**

(1) The quorum necessary for the transaction of business at a meeting of the National Board shall be one-half of the total number of members.

(2) If at any time there is no quorum, the Chairperson or the person presiding over a meeting shall adjourn the meeting until there is a quorum.

9. **Invitees to the National Board meetings.—**

The Chairperson of the National Board may invite any person or persons having experience in the wild life conservation to attend any meeting of the National Board.

10. **Record of business.—**

(1) The record of business transaction at every meeting of the National Board shall be prepared by the Member-Secretary for approval by the Chairperson or the Member presiding at such meeting.

(2) When any business is transacted by circulation of papers, the Member-Secretary shall prepare a record of the business so transacted for approval by the Chairperson of the National Board permitting the circulation.

(3) The record of business transacted at every meeting of the National Board shall be approved and signed by the Chairperson or the Vice-Chairperson or the member presiding at such meeting, and the approved record of business shall be circulated to all the members.

(4) All records shall be maintained by the Member-Secretary of items of business transacted by the National Board or the committees, sub-committees or sub-groups thereof.

11. **Appointment of Committees.—**

(1) The National Board may, constitute a Standing Committee and such other committees or study groups, as may be necessary, in accordance with the provisions contained in section 5B of the Act.

(2) The National Board shall determine the terms of reference, tenure, membership and other related aspects as may be necessary in respect of the committees constituted under sub-rule (1) of this rule.

12. **Travelling and other allowances to members of the National Board and its committees.—**

(1) A member of the National Board or any committee other than members ex-officio, shall be entitled to receive, in respect of any journey performed by him for the purpose of attending a meeting of the National Board or of a duly constituted committee thereof or for the purpose of discharging any duty assigned to him by the National Board or the committee concerned, travelling allowances and daily allowances at the rates as are admissible to the Group 'A' officers of the Central Government for the time being in force.